राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–एफ 4(ई)(आर–18/86) अलेसे–III/553–562 दिनांकः–27.04.2012

आदेश संख्या 27/2012–13

श्री राजकुमार स्वामी क०लेखाकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वारा अपराध सं० 120/2006 अंतर्गत धारा भ्र०नि०अ० 1988 की धारा 7, 13(1))(डी) एवं 13(2) तथा भा०द०सं० की धारा 193,196,467,व 471 में मुकदमा दर्ज किये जाने पर आरोपी श्री राजकुमार स्वामी को विभागीय आदेश क्रमांक 560–66 दिनांक 16.05.2006 से निलम्बित किया गया था। वर्तमान में निलम्बन मुख्यालय उपकोष, थानागाजी (अलवर) में है। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री राजकुमार स्वामी कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में श्री राजकुमार स्वामी कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 16.05.2006 से निलम्बित चल रहे हैं, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा बहाली पर इनका पदस्थापन कोषालय धौलपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प–2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

26/4/2012
निदेशक

क्रमांकः–एफ 4(ई)(आर–18/86) अलेसे–III/553–562 दिनांकः–26.04.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में।
2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर
4 संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
5 कोषाधिकारी, धौलपुर/अलवर
6 उप कोषाधिकारी थानागांजी(अलवर)
7 श्री राजकुमार स्वामी कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय उप कोषाधिकारी थानागांजी(अलवर) को प्रेषित कर लेख है कि आप नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर फैक्स द्वारा इस विभाग को सूचित करें।
8 कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।
9 निजी सहायक निदेशक।
10 निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)